"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक -एफ-3-48/2010/गृह-दो.— राज्य शासन एतद्द्वारा नक्सली समस्या पर कारगर नियंत्रण करने, कानून एवं व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा जनहित की दृष्टि से राजस्व जिला रायपुर के अन्तर्गत नया पुलिस जिला गरियाबंद के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. इस जिले का मुख्यालय गरियाबंद होगा.

3. उपर्युक्त स्वीकृत पुलिस जिला गरियाबंद के क्षेत्राधिकार में वर्तमान जिला रायपुर के निम्नलिखित थाना सम्मिलित किये जाते हैं :-

| क्रमांक | थाना |
|---|---|
| 1. | मैनपुर |
| 2. | देवभोग |
| 3. | छुरा |
| 4. | गरियाबंद |
| 5. | फिंगेश्वर |
| 6. | पीपरछेड़ी |
| 7. | इन्दागांव |
| 8. | पायलीखंड |
| 9. | शोभा |
| 10. | अमलीपदर |

4. नया पुलिस जिला गरियाबंद के गठन के पश्चात् पुलिस अधीक्षक रायपुर उपरोक्तानुसार स्वीकृत पुलिस जिला गरियाबंद में शामिल थानों के कार्यभार से मुक्त होंगे..जिला रायपुर के अन्य क्षेत्र पर उनका पर्यवेक्षण पूर्ववत् रहेगा.

5. उक्त अधिसूचना, जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी.

6. पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद की पदस्थापना के आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं. परन्तु जब तक पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक पुलिस अधीक्षक, रायपुर अपने कार्यभार के साथ-साथ गरियाबंद पुलिस जिला का कार्यभार भी संभाले रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. पी. शोरी**, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.